प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 25 जुलाई, 2022**

विषयः- मेसर्स डालमिया भारत सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डालमिया चीनी मिल्स), डिस्टिलरी डिवीजन, यूनिट रामगढ़, ग्राम-रामगढ़- महसुई, पोस्ट-रामगढ़, तहसील-मिश्रिख, जनपद सीतापुर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-197/दो-प्रा.डी-224, दिनांक 20-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 20-07-2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स डालमिया भारत शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (डालमिया चीनी मिल्स), डिस्टिलरी डिवीजन, यूनिट रामगढ़, ग्राम-रामगढ़- महसुई, पोस्ट-रामगढ़, तहसील-मिश्रिख, जनपद सीतापुर की क्षमता 120 कि.ली. प्रतिदिन के स्थान पर अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत वृद्धि कर 150 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् स्वीकृत वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता420 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 105 लाख ब.ली. अतिरिक्त एथनाल का उत्पादन अर्थात् कुल 525 लाख लीटर एथनाल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 15-10-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं वायु सहमति में उल्लिखित शर्तें।

(4) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में बी- हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(5) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी/इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(**उमेश कुमार तिवारी**)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in